

कार्यालय नगरपालिका परिषद टाण्डा जनपद रामपुर।

पत्रांक:- 48 / न0मा0टाण्डा / 2018

दिनांक 12 अक्टूबर 2018

अति अल्पकालीन ई0- निविदा सूचना

नगरपालिका परिषद टाण्डा जनपद रामपुर को 14 वा वित्त आयोग एवं आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से वित्तीय वर्ष 2018-19 नगरपालिका परिषद टाण्डा के पंजीकृत ठेकेदारो / पंजीकृत फर्मो से सामग्री क्रय एवं निर्माण कार्य हेतु ई-निविदा प्रणाली के अन्तर्गत दिनांक 20.10.2018 को सायं 5.00 बजे तक निम्न समयसारिणी के अनुसार आमन्त्रित की जाती है। कार्य की 2 प्रतिशत धरोहर राशि एफडीआर/एनएससी/टीडीआर के रूप में जो अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद टाण्डा के नाम बन्धक होगी, तथा निविदा मूल्य (जी0एस0टी0 सम्मिलित करते हुए) पालिका टाण्डा के खाता सं0-11676797902 भारतीय स्टेट बैंक टाण्डा आईएफएसीसी कोड- sbin0001785 में अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद टाण्डा के पत्र में जमा करना सुनिश्चित करे। निविदा का विस्तृत विवरण टेंडर प्रपत्र शर्त आदि उत्तर प्रदेश की ई-प्रिक्वोरमेंट की वेबसाईट e-tender up.nic.in से प्राप्त किये जा सकते है। ई निविदा की समस्त कार्यवाही उक्त वेबसाईट के माध्यम से ही पूर्ण की जाएगी। किसी भी ई निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष नगरपालिका परिषद टाण्डा में निहित होगा। निविदा खोले जाने वाली दिनांक को सार्वजनिक अवकाश अथवा विषम परिस्थिति होने की दशा में निविदा अगले कार्य दिवस में खेली जाएगी। निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन की सूचना/जानकारी हेतु वेबसाईट को लगातार देखते रहें।

ई- निविदा समयसारिणी(e-tender up.nic.in)

क्रमांक	विषय	दिनांक व समय
1	वेबसाईट पर ई- निविदा प्रकाशन	12.10.2018 को सायं 5 बजे से
2	ई-निविदा डाउनलोड/अपलोड	12.10.2018 को सायं 5 बजे से
3	ई-निविदा डाउनलोड/अपलोड की अन्तिम तिथि	20.10.2018 सायं 5 बजे तक
4	प्राप्त ई निविदाओं को खोलना	20.10.2018 को प्रातः 2 बजे से
5	कार्यो के निविदा स्कैन,अनेटस्टमनी,निविदा शुल्क की मूल प्रति आदि कार्यालय में जमा करना	20.10.2018 को समय 1 बजे तक

निर्माण कार्य का विवरण निम्नवत् है

क्र0सं0	सामग्री / कार्य का विवरण (आदर्श नगर योजना के अधीन)	मात्रा	माकलन की अनुमानित धनराशि	धरोहर राशि 2 प्रतिशत	निविदा मूल्य	कार्य अवधि
1	वार्ड नं0 23 मोहल्ला नज्जुपुरा में डा0 याकूब के मकान से वाजिद के मकान तक वाया महमूद नायक, रउफ केमकान से नज्जुपुरा पुलिया तक, हाजी यामीन की गली, व इस्लाम के मकान से मरगूब केमकान तक वाया अब्दुल्ला मेम्बर, लियाकत अली केमकान सेखालिक के मकान तक व लाला रियासत के मकान से तालिब के मकान तक, मुल्ला आबिद के मकान से मो0 अली के मकान तक सीसी टाईल्स रोड व नाली निर्माण कार्य।	-	2661000	53220.00	2700.00 / जीएसटी 486. 00 / स्टेट0चार्ज 500.00 कुल 3686. 00	2 माह
	14 वा वित्त आ0 से					
1	हैडोतिक टिपर माउण्टेड आन टाटा एसीई घेसिस	4	2522800.00	50456.00	2500.00 / जीएसटी 450. 00 / स्टेट0चार्ज 500.00 कुल 3450	1 माह

शर्त:-

- 1- निर्धारित मानकों के अनुसार आपूर्ति / निर्माण कार्य न कराये जाने अथवा अनुबन्ध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर बिल में से धनराशि की कटौती तथा जमानत धनराशि जब्त करने एवं अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष नगरपालिका परिषद टाण्डा में निहित होगा ।
- 2- किसी भी विवाद की स्थिति में अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष नगरपालिका परिषद टाण्डा का निर्णय अंतिम होगा और सम्बन्धित फर्म को मान्य होगा।
- 3- किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जनपद रामपुर होगा ।
- 4- ठेकेदार को भूमि की उपलब्धता होने पर ही कार्य प्रारम्भ करना होगा यदि भूमि उपलब्ध नहीं होती है तो निविदा निरस्त करने का अधिकारी अध्यक्ष नगरपालिका टाण्डा को होगा ।।
निविदादाता को जीएसटी में पंजीकरण आवश्यक है ।
- 5- अपठनीय/अस्पष्ट स्कैन कापी टेम्पलट के साथ अपलोड होने पर निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
- 6- शा0सं0 622/23-12-2012 आडिट/08 टीसी दिनांक 8.6.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत तक न्यूनतम निविदा पर 0.5 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत से अधिक न्यूनतम निविदा पर 1.00 की दर से अतिरिक्त गारण्टी मनी निविदा के साथ सलग्न करना अनिवार्य होगा ।
- 7- सशर्त निविदा मान्य न होगी।
- 8- निविदादाता को 2 प्रतिशत धरोहर राशि की एफडीआर/एनएससी/टीडीआर की ओरीजनल कापी को स्कैन कर अपलोड करना होगा । जो अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद टाण्डा जनपद रामपुर के नाम बंधक होगी।
- 9- ई निविदादाता को ई निविदा प्रपत्र के साथ 100.00 का नान जूडिशियल स्टाम्प पर शपथपत्र स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- 10- शासन द्वारा धनराशि आवंटन पश्चात ही नियमानुसार भुगतान किया जाएगा ।
- 11- निर्माण कार्य की निविदा स्वीकृत होने पर 8 प्रतिशत जमानती राशि जो अधिशासी अधिकारी नगरपालिका के नाम से होगी , की एफडीआर/टीडीआर की मूल प्रति केवल नगरपालिका में ग्रहण की जाएगी अन्य दस्तावेज आन लाइन लोड करें।

(दीपक कुमार शाह)
अवर अभियन्ता

(राजेश सिंह राना)
अधिशासी अधिकारी

(महनाज जहाँ)
अध्यक्ष

नगरपालिका परिषद टाण्डा जनपद रामपुर।

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1.अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), रामपुर
2. सम्पादक दैनिक आज मुरादाबाद को इस आशय से कि वह उक्त सूचना का कम से कम स्पेस में सुस्पष्ट स्थान पर प्रकाशन उपरान्त भुगतान हेतु अपना बिल प्रस्तुत करें ।
3. प्रभारी एन0आई0सी0 रामपुर को सीडी सहित इस अनुरोध के साथ कि उक्त सूचना का अपलोड करने का कष्ट करें।
- 4.नजारत नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु।
- 5.कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद टाण्डा